3411956 Telephone: 3412990

## OFFICE OF THE REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

9th floor Mayur Bhawan New Delhi-110001

icus -	2011
No. PFRC/98 Coord/DL/.2.16/Coverage/ 5-025 Regd. A.D.	2/11
5013 Dated the	न्द्रेप ।
M/s Sugan Hig Enterprises.	
HR- 62 A. 60 Feet Road	
ful fellad pur New	
Dothi- 11 cour	
Sub.: Applicability of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 a Schemes framed thereunder to M/s	and the
Dear Sirs,	
On the basis of particulars furnished by you on an and on this basis of the ins of the records of your estabilishment conducted by the Enforcement Officer on	pection evident
(a) Your establishment/factory viz M/s	
(b) that the said establishment/factory has employed persons on	403
(c) that it has completed the infancy period in terms of provisions of Sec. 16(1) (b) Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 of 3 years on/in	framed anches/ t from
With reference to your application No	t effect parent
With reference to your application No	oasis a overing rnment
The Code No. DL/ <b>266.43</b> is allotted to your estt. for the purpose of making com with the various provisions of the E.P.F. & Misc. Provisions Act, 1952 and the Schemes	pliance framed

Expedi Fur

thereunder namely, E.P.F. Scheme, 1952 Employees Pension Scheme, 1995 and Deposit Linked Insurance Scheme, 1976. This Code No. should invariably be quoted in all the correspondences with this office.

The contribution payable by the employer shall be @ .........% of basic wages, dearnes allowance (including cash value of food concession) and retaining allowance, if any payable to each employee every month. The contribution payable by the employee shall be equal to the contribution payable by the employer.

I. The contribution shall be calculated on the basic wages dearness allowance etc, payable during the whole month whether paid on daily; weekly, fortnightly or monthly basis.

II. each contribution shall be calculated to the nearest rupee i.e., 50 paise or more to be counted as the next higher rupee, and fraction of a rupee less then 50 paise to be ignored

III. for the purpose of calculation of contribution the wages may be rounded off to the nearest rupee i.e. 50 paise or more being taken as one rupee and less than 50 paise ignored.

(Hindi version at overleaf)

3414134 दूरभाष : 3411956 3412990

## क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

9 वां तल मयूर भवन कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

संख्या : पी. एफ. आर सी/98 समन्वय (डीएल//आवृति	पंजीकृत सपावर्ती
दिनां	Φ
सेवा में, भैंसर्स	
विषय : कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अंत पर लागु होगा।	र्गत रचित स्कीमों का भैंसर्स
महोदय,	
आपके द्वारा दिनांक की प्रेषित विवरण के आधार पर और निरीक्षक द्वारा की किए गए निरीक्षक के आधार प	आपकी स्थापना का भविष्य निधि पर स्पष्ट होता है कि :-
(क) आपकी स्थापना फक्टरी अर्थात भैंसर्स	•
ा १९५२ में स्थापनाओं की श्रेणियों/अनुसूची-1 में शामिल लगी हुई है।	कार्य में
(ख) उक्त स्थापना (फैक्टरी में दिनांक को व्यक्ति कार्यरत हैं।	
(ग) इसने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 16	कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण सके मुख्य कार्यालय और इसकी
आपके आवेदन पत्र सं	कर लें कि इससे स्थापना की मूल
अधिनियम धारा 1(4) के अंतर्गत स्वैच्छिक आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रव आपकी स्थापना पर लागू करने के लिए आपके आवेदन पत्र संख्या के सन्दर्भ में आपकी स्थापना अर्थात	नीर्ण उपवन्ध अधिनियम, 1952
क सन्दर्भ में आपको स्थापना अथात को कार्यक्षेत्र में अस्थायी रूप से अलाट किया जा रहा है। अभी आपकी स्थापना को कार्यक्षेत्र में अस्थायी रूप से तव तक सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा का उपयोग करते हुए भारत सरकार अधिसूचना जारी नहीं कर देती।	से लाया जा रहा है,
2. आपकी स्थापना को कोड नम्बर डी. एल	पेंशन स्कीम, 1995 और निक्षेप
3. नियोक्ता द्वारा देय अंशदान को, दर मूल वेबन, महंगाई भत्ता (किसी भी खाद्य रियायत भत्ता यदि कोई हैं, प्रत्येक कर्मचारी कोप्रतिशत की दर से प्रतिमाह देय होगा। नियोक्ता द्वारा देय के समान होगी।	के नकद मूल्य सहित) और निर्वाह कर्मचारी द्वारा देय अंशदान का दर
। अंशदान की सगणना पुरे माह कें दौरान मिलने वाले मूल वेतन, महगाई भत्ता आदि, चाहे व मासिक आधार पर किया गया हो, की जाएगी,	
।। अंशदान की सगणना नजदीकी रुपए में अर्थात 50 पैसा या अधिक को एक रुपये में की जाएगी।	
111 अशदान की सगणना हेतु वेतन की नजदीकी रुपये में अर्थात रुपये में अर्थात 50 पैस 50 से कम पैसा को छोड़कर की जाएगी।	ा या अधिक को एक रुपये से तथा

Belore paying the member his wages, you shell ceduct the employee's contribution Fund from his wages which logether with your own contribution and administrative charges shall be paid within 15 days of the close of every month in the Accounts of the Fund maintained by the State Bank of India by challans in the following manner :-

(a) E.P.F. contribution

To be deposited in E.P.F. A/c. No. 1

(b) Administrative charges

To be deposited in E.P.F. A/c, No. 2

(c) E.P.S.

To be deposited in Employees, Pension A/c No. 10.

Note (1) The rate of administrative charges 1-10% w.e.f. 1-8-98 subject to a minimum of Rs. 5/- of pay basic wages, dearness allowance including cash value of any food-concession and retaining allowance, if any.

(ii) It may be noted that if timely deductions are not made from the member's wages, the employer will have to pay both the shares himself, as the recovery of arrear, contributions for the back period from the subsequent wages of the employee's is prohibited except when such recovery could not be made at the appropriate time dut eo accidental mistake or clerical error.

(iii) The Employees' Pension Scheme 95 will be applicable from prospective the date of coverage.

Besides making daposits in A/c. No. 1, 2 and 10 as explained above, you are also required to deposit the contributions and Admin. Charges in Account No. 21 and 22 under the imployee's Deposit Linked Insurance Scheme. 1976, in the manner indicated below within 15 days of the close of each month.

(1) Deposit-Link insurance Fund A/c. No. 21 To this account contributions will be deposited @ 0.5% which will be the aggregate the basic wages, dearness allowance including cash value of food concession and retaining allowance if any, payable to the employees by employer.

(2) Deposit Linked Insurance Fund

To this account will be deposited the administration charges @ 0.01% (w.e.f. 1-10-87) subject to a minimum of Rs. 2 which will be the aggregate of the basic wages, dearness allowance (including the cash value of food concession are retaining allowance) if any, payable to the employees by an employer Prior to this the rate was 0.1%.

The disposit in the above accounts, viz. 1,2,10,21 and 2 are to be made by separate challans and implicate acpies of the challens as received from the Bank, should be forwarded to this office duly stracted with Form o 12A (Revised) (explained below).

You are required to maintain/forward the following returns:-

(i) Form No. 9 Revised under the E.P.F. Scheme 1952 & E.P. Scheme 1995

This is to be submitted to this office once in respect of those employees who are required, or entitled, to become members on the date the factory/establishment is covered under the scheme.

(ii) Form No. 2 under the E.P.F. Schame 1952 and also urder the E.P. Scheme 1995

These are to be obtained in duplicate form every member for submission to this office

(iii) Form No. 5-A

This is to be submitted to this office in duplicate, Any subsequent change in ownership is also to be notified to this office through this form.

(iv) Form No. 3-A

This is to be maintained at the factory/establishment, in respect of every employee who is a member, in which the contribution paid to the P.F. are to be posted every month.

(v) Form No. 6-A

This is a annual return of contribution and is to be submitted to this office with in 30 days of the close of the financial year, along with from 3A (Last contribution to be shown for Feb. payable in March each year).

(Hindi version at overleaf)

Contd. page 3

 सदस्य को वेतन देने से पूर्व आपके लिए यह कादरयक झेगा कि खाद एसके येतन से अनियार्य कप से अंगदान कार्ट और अपने अंशदान तथा प्रशासकीय प्रभार की चारि। सहित प्रत्येक नास की 1.5 करीख तक पारतीय स्टेंट बैंक में निधि के लेखों में संवधित चालनों द्वारा निम्नलिखित रूप से जमा करायें।

.. क. भ नि . लेखा सं . । में जमा कराया जाए। (क) क.भ नि. अंशदान ..

क.प.सं. लेखा सं. १० मे जमा कराया जाए। (ग) कर्मचारी पेंशन अंशदान.

टिप्पणी : (1) प्रशासकीय प्रभार की दर 1.8.98 एंतन, मूल वेतन, महगाई नत्ता जिस खाद्य मूल्य में किसी प्रकार की रियायत और प्रतिधारण भत्ता, यदि कोर है, का 1.10, प्रतिरात है जो न्यूनतम 5 रुपए है।

(11) कृपया इन यात को नोट किया जाए कि यदि सदस्य के वेतन रो समय पर कटौती नहीं की जाती तो नियोक्ता की दोनों के भाग राशि स्वयं जमा करानी होगी, क्योंकि कर्मचारी के बाद के वेतन से पहले के दकाया अंगदान की कटोती निषेध है केदल उन मामलों को छोड़कर जहां ये वसूली समय एर अकस्मात गलती अथवा लिपिकीय गलती के कारण नहीं हो सकी।

5. चिल्लिखित लेखा संख्या 1,2 और 10 से जमा कराने के अतिरिक्त आपने गृह भी अपेक्षित है कि आप कर्मचारी निक्षेप सहबद्द बीमा स्कीन 1976 के अन्तर्गत अंशदान और प्रशासन प्रभार लेखा संख्या 21 और 22 में प्रत्येक मार्ड की समाप्ति के 15 दिनों के अन्दर निम्नलिखित रूप से जमा करायें।

(1) निक्षेप सहबद्घ यीमा निधि लेखा संख 21

इस लेखे में अंशदान की दर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को अदा किए जाने वाला मूल देतन, महगाई भौता, जिसमें छा मूला में रियायत और परतिधारण भत्ता यदि कोई है, कुल राशि की 0.5 प्रतिशत होगी।

(11) क्षेत्रीय यीमा निधि प्रशासकीय लेखा संख्या 22

इस लेखे में प्रशासकीय परभार की दर 1.10.87 से नियोक्तों द्वारा कर्मचारी को अदा किए जाने वाले नूल वेतन, महगाई भलाग जिसमें खाद्य संबंधी रियायत और परितधारण भत्ता यदि कोई है, की कूल रशि की 0.01 प्रतिशत होगी। जो न्गृनतम २ रुपये प्रतिमाह है। इससे पूर्व रह दर

वपरेतात लेखाँ अर्थात 1,2,10,21 और 22 में चिश्रिन धालानों के माध्यम से जमा कराई जाए में और बैंक से प्राप्त धालानों की वीन प्रतियों फार्न संख्या 12 क (संशोधित) (नीचे उत्लिखित) के साथ इस कार्यालय को भेजी जानी चाहिए,

जापते यह आपेटित है कि आप निम्नलिखित रिटर्न तैयार/प्रेिंग्त करें :--

(1) क.म. नि. स्कीम, 1952 तथा कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के अन्तर्गत फार्म संख्या 9

यह रिटर्न केवल उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में इस कार्यालय में केवल एक बार जमा करानी होती है जिन्हें फैक्ट्री/स्थापना की स्कीम के कार्यक्षेत्र में लाने की तिथि से सदस्य बनाया जाना अऐक्षित है या सदस्य बनने के पात्र हो गए है।

(ii) क म नि स्काम और क पेशन अंतर्गत फार्म सं. 2 यह फार्म प्रत्येक सदस्य से दो प्रतियों में प्रयोप्त कर इस कार्यालय को भेजे

(iii) फार्म सं. 5-क

यह दो प्रतियों में इस कार्यालय को भेजे जाने चाहिए मालिकों में किसी भी प्रकार का याद में परिवर्तन आनै पर इस फार्म के माध्यम से इस कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए।

(iv) फार्म सं. 3 क

यह प्रत्योक सदस्य/कर्मचारीं से सम्बन्धित फार्म है जिसे फैक्ट्री स्थापना में ही रखा जाना चाहिए। इस फांर्स में भ नि . में किए गए अंशदान की प्रतिमाह प्रविष्ट करनी होती है।

(v) फार्म सं. 6-क

यह अंशदान की वार्षिक विवरणी हैं और इसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 30 दिनों के भीतर फार्म 3-क के साथ (फरवरी) माह से सम्बन्धित अन्तिम अंशदान प्रत्येक वर्ष मार्च से अदा किया दिखाया जाना चाहिए) इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है।

क्रमशः पेज 3

(v., Form No. 12-A

(vii) Form No. 5 & 10

This is the monthly return of contribution and is to be submitted to this office by 25th of every following month. Triplicate copies of the challans in support of the deposits made in the State Bank of India should be attached with this.

These are the returns of employees who have become new member or have left the service in the month and are to be submitted to this office by the 15th of the following months.

All the forms prescribed under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952' the Employees Pension Scheme, 1995, and the Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, are available in the P.F. office and will be supplied free of cost on receipt of your indent. The Speciman of forms are enclosed.

In case, the employees shown in form 9 (Revised) were the members of the establishment's Private Provident Fund at the commencement of the Scheme, the accumulations in the Provident Fund standing to their credit should be remitted into the State Bank of India to the credit of the E.P.F. Account No. I through the prescribed chailans and the triplicate copy of the challans sent to this office. All the amounts relating to the Provident Fund accumulations lying invested in securities should be transferred to the E.P.F. within four months by having the securities transferred to and endorsed in favour of the Central Board of Trustees, Employees' Provident Fund, and the Securities thus transferred should be sent to this office. A note containing the instructions in the matter of transfer to these accumulations is enclosed, Cash and hand in relation to the Accounts of the Private Provident Fund should be remitted within 30 days from the receipt of this communication, falling which damages at the prescribed rates will have to be paid by you on the delayed remittances made in cash after the due date.

The receipt of this letter along with its enclosures may kindly be acknowledged.

Yours faithfully

## Encls :

Regional Provident fund Commissioner

- Instructions regarding implementation of the Employees' Provident Fund Scheme, employees' F.E. Pension Scheme, and Employees' Deposit Linked Insurance Scheme.
- 2. Instructions regarding allotment of Account Nos.
- 3. Instructions regarding transfer of Provident Fund Accumulations and transfer of securities.
- Ready Reckoner for calculation of Provident Fund contributions, Family Pension contribution and Deposit Linked Insurance Contributions.
- 5. Form 5A (in triplicate).

## Copy to:

- 2. Accounts Branch (Nehru Place/Gupta Complex, Janak Puri, Laxmi Nagar) (It is understood that this factory/establishment has/has no previous Provident Fund accumulations to transfer to E.P.F. This may please be noted in the contributions Register maintained in the Group with suitable remarks.)

4.	File No. E/DI/ 6660
5.	R.P.F.C. with reference to their letter No dated for information and necessary action.
	SHIV PRASAN

For: Regional Provident Fund Commassioner

	The state of the s
(vi) फार्न सं. 1 2-ক	यह अंशदान का मासिक रिटेन फार्म है, जिसे प्रत्येक अगले माह की 25 तारीख तक इस कार्यलय को प्रस्तुत करना होता है। भारतीय स्टेट बैंक में जमा करायी गई राशि से संबंधित चालान की तीसरी प्रतियां इसके साध संलग्न की जानी चाहिए।
(vii) फार्म सं. 5 और 10	यह उन कर्मचारियों से संबंधित रिटर्न है जो माह के दौरान नए सदस्य बनाए जाते है या नौकरी छोड़ जाते है और इन्हें अगले माह की 15 तारीख तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है।
7 कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 195 संबंधित सभी निर्धारित फार्म भविष्य कार्यलय में उ फार्म संलग्न है।	2, कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 और निक्षेप सहबद्व बामा स्कीम, 1976 से पलब्ध है और रन्हे निःशुल्क आपका मांग पत्र प्राप्त होने पर दिया जाता है। नमूरा
संबंधित फार्मों में अलग से दिखाते हुए	
	भवदीय क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
अनुलग्नक	वाजाय नाय वानुपरा
1 . कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, कर्मचार संबंधित निदेश।	री कुटुम्ब पेंशन स्कीम, कर्मचारी निक्षेप सहवद्व बीमा स्कीम को लागू करने से
2 . लेखा संख्या अलाट करने से सम्बन्धि	त निदेश।
	को हस्तांतरित करने से सम्बन्धित निदेश।
<ol> <li>कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान, कूटुम्ब</li> <li>फार्म 5-क (तीन प्रतियों में)।</li> </ol>	पेंशन अंशदान, निक्षेप सहबद्घ बीमा अंशदान की सगणना से संबंधित रेडी रेकनर।
प्रतिलिपि :	
के प्रषित की जाती है। उनसे यह भी अनुरोध किया	भविष्य निधि निरीक्षक को अनुपालन सुनिश्चित करने जाता है कि स्थापना के संम्बधित फार्म 5—क की दो प्रतिया स्थापना से प्राप्त करें। त्र सं. इ–72/11 (28) 80/पीएन दिनांक 6.6.1981 में दिए गए अनुदेशों

5. क्षे. भ. नि. आ. ..... का उनके पत्र सं.

जा रहे अंशदान रहिस्टर में आवश्यक अभ्युध्कतयों के साथ नोट किया जाए)।

4. फाइल सं. इ/डीएल/

दिनांक ...... के सर्न्द्रभ में सूचना और आवश्यक कार्यवाई हेतु।